



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2014, शनिवार/आश्विन 27—कार्तिक 3, 1936  
No. 43] NEW DELHI, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2014, SATURDAY/ASVINA 27—KARTIKA 3, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, पुस्तकालय सूचना सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1993 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेष्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	*03 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	30 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
आवश्यक :			आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता : जी हां ।		सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष ।
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ;					
(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव ।					

(7)

वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा

**टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

33.33%  
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन द्वारा और 66.67% सीधी भर्ती द्वारा

संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है )/आमेलन] :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो; तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।

**टिप्पण 1 :** वेतन बैंक-1 (5200-20200रु.) ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री हो, पर भी वाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है )/आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(11)

**टिप्पण 2:** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पदधारियों पर केवल आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयाजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन, या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति

संयुक्त प्रणाली अर्थात्, प्रोन्नति + प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
2. निदेशक, या उप सचिव (पुस्तकालय का भार साधक) गृह मंत्रालय ---सदस्य
3. निदेशक, या उप सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2013-प्रशा.-V]

शिवातोष बनर्जी, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 21st October, 2014

**G.S.R. 221.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs Library Information Assistant Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1993, except as respects

things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Home Affairs, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, (Library Information Assistant), Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	*03 (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, ₹9300-34800 plus Grade Pay ₹4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and</p> <p>(ii) two years experience in a Library under the Central Government or a State Government or autonomous or statutory organization or public sector undertaking or Universities or recognized research or educational institution.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority or reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the posts reserved for them.</p>	<p>Age: No</p> <p>Education Qualification : yes</p>	<p>Two years for direct recruits and promotees</p>
<p><b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>		<p>In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</p>
(10)		(11)
<p>33.33% by promotion/deputation (including short term contract)/absorption and 66.67% by direct recruitment</p>		<p><b>Composite Method [Promotion plus deputation (including short term contract)/absorption] :</b></p> <p>Officers under the Central Government or a State Government or a Union Territory or public sector undertaking or recognized research institutions or Universities or Semi Government or statutory or autonomous organizations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p>

(11)

(ii) with six year service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in pay band-1, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** Department Library Clerk in Pay Band-1 (₹ 5200-20200) and Grade Pay of ₹ 1900 with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Libaray and Information Science from a recognized University or institute shall also be considered along with outsiders and in case such person is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, it shall be treated as having been filled by deputation (including short term contract)/absorption.

**Note 2:** The officials from Central Government and State Government shall only be considered for absorption.

**Note 3:** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/absorption shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

**Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :</b>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Composite method i.e., promotion plus deputation (including short term contract)/absorption.
1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs: —Chairman 2. Director or Deputy Secretary. (in-charge of Library) Ministry of Home Affairs: —Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member	
[F. No. A-12018/01/2013-Ad. V]	
SHIBATOSH BANERJI, Under Secy.	

### कृषि मंत्रालय

( कृषि और सहकारिता विभाग )

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

**सा.का.नि. 222.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विस्तार निदेशालय (वर्ग-3 और वर्ग-4 पद), भर्ती नियम, 1964, को जहाँ तक उसका संबंध ड्राइवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय में ड्राइवर (श्रेणी-1), ड्राइवर (श्रेणी-2) और ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग विस्तार निदेशालय ड्राइवर (श्रेणी-1), ड्राइवर (श्रेणी-2) और ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।